न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 24/2020

1 सीताराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 12 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी सीताराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला दिनांक 06.12.2019

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01·5·24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश किया गया। अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1254,1261,1263 में से 20 फुट रास्ते की मांग की गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1245 तन ग्राम कोटडी लुहारवास में आवागमन के लिये अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1254,1261,1263 में से 20 फुट रास्ते की मांग की है। अपीलांट अपनी कृषि भूमि पर मकान बनाकर आबाद है इसी रास्ते से ट्रेक्टर ट्राली व अन्य संसाधन से आवागमन करता है। अपीलांट को रास्ते के रूप में दी जाने वाली जमीन के बदले अपीलांट द्वारा जमीन देने का कथन किया गया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय में परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग के कमांक प. 3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 प्रस्तुत किया था। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि सिवायचक है इसमें से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय

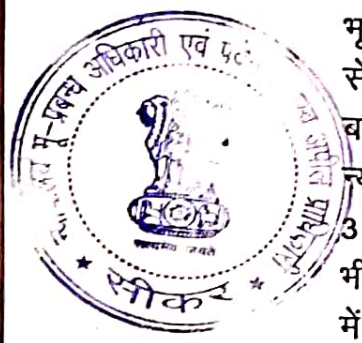

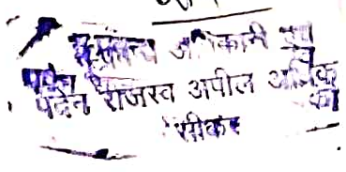

में अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1245 तन ग्राम कोटडी लुहारवास में आवागमन के लिये अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1254,1261,1263 में से 20 फुट रास्ते की मांग की है। अपीलांट अपनी कृषि भूमि पर मकान बनाकर आबाद है इसी रास्ते से ट्रेक्टर ट्राली व अन्य संसाधन से आवागमन करता है। अपीलांट को रास्ते के रूप में दी जाने वाली जमीन के बदले अपीलांट द्वारा जमीन देने का कथन किया गया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय में परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 प्रस्तुत किया था। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं उक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 06.12.2019 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई जाकर प्रस्तुत किये गये परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम योजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर